कार्यालय सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश
टाउन हॉल परिसर,
जिला छिन्दवाड़ा, सिवनी, बालाघाट

क्रमांक 964 नि0आ0 / नग्रानि / 2011 छिन्दवाड़ा दिनांक 2/5/11

प्रति,

श्री सुनील नाहर पिता श्री भंवर लाल नाहर
निवासी बारापत्थर जिला सिवनी

विषयः गैस गोदाम प्रयोजन में भू–परिवर्तन हेतु निवेश अनुज्ञा देने बाबत्।

संदर्भः आपका आवेदन पत्र दिनांक 11.04.2011

संदर्भित आपके आवेदन पत्र में यथावर्णित विकास / निर्माण कार्य को क्रियान्वित करने हेतु एतद् द्वारा आधिपत्य की भूमि ग्राम पलारी के प0ह0न0–44 के स्थित भूमि खसरा क्रमांक 311 का रकबा मे से 0.400 हे0 (4000 वर्गमीटर) भूमि पर म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 30 की उपधारा (3) तथा म0प्र0 भूमि विकास नियम 1984 के नियम 2 (5) एवं 27 (1) के अधीन एवं सिवनी विकास योजना 2021 के निर्दिष्ट प्रावधानों के अन्तर्गत गैस गोदाम प्रयोजन हेतु संलग्न मानचित्र में लाल रंग से दर्शाये गये अनुसार निवेश अनुज्ञा निम्नलिखित शर्तो के अधीन दी जाती हैं:–

1. निम्न लिखित अधिनियम / नियम सक्षम प्राधिकारी तथा स्थानिय संस्था से अनुमति / अनापत्ति प्राप्त करना होगा।
   अ. म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 172
   ब. म0प्र0 ग्राम पंचायत अधिनियम 1993
   स. नजूल विभाग
   द. यदि किसी अधिनियम के तहत कोई अनुमति / अनापत्ति प्राप्त करना हो तो वह भी प्राप्त करना होगी।

2. प्रश्नाधीन स्थल के सम्मुख वर्तमान बायपास मार्ग की चौड़ाई 50.0 मीटर रखते हुये मार्ग मध्य से 25.0 मीटर भूमि मार्ग विस्तार हेतु छोडने के उपरांत 3.0 मीटर का ग्रीनवर्ज तथा मानचित्र में दर्शाये अनुसार सर्विस रोड रखना होगा जिसका विकास / निर्माण आवेदक द्वारा किया जावेगा।

3. संलग्न मानचित्र में दर्शाये अनुसार दर्शित प्रश्नाधीन स्थल पर निर्मित क्षेत्र पार्किंग / सर्कुलेशन स्पेस मानचित्रानुसार रखना होगा।

4. संलग्न मानचित्रानुसार निर्मित क्षेत्र अनुज्ञेय होगा।

5. सार्वजनिक सुविधा जैस जल–मल प्रवाह, वर्षा के पानी की निकासी आयोजन मानचित्र स्थानिय संस्था से स्वीकृत कराकर निर्धारित मापदंडानुसार करना होगी।

6. प्रश्नाधीन स्थल के चारों और छोड़े गये खुले क्षेत्र में म0प्र0 भूमि विकास नियम 1984 के नियम 64 के प्रावधानों के तहत् पर्याप्त वृक्षारोपण करना होगा।

7. प्रश्नाधीन स्थल पर विद्युत लाईनों हेतु म0प्र0 भूमि विकास नियम 1984 के नियम 52 तथा म0प्र0 विद्युत नियामक आयोग के वर्तमान नियमों के अनुसार पालन करना अनिवार्य होगा तथा संबंधित विभाग से अनापत्ति लेना होगा।

11. म0 प्र0 भूमि विकास निगम 1984 के नियम 78 (4) के प्रावधानों के अनुसार बड़े भू–खंडो में निर्मित होने वाले भवनों हेतु रेन वाटर हारवेस्टिंग की प्रक्रिया अपनानी होगी

9. आवेदक द्वारा प्रस्तुत खसरा अक्स / बटांकन में किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर उसकी जबाबदारी आवेदक की होगी।

10. प्रश्नाधीन स्थल पर विकास / निर्माण किये जाने से पूर्व ग्राम पंचायत पलारी से भवन निर्माण अनुमति प्राप्त करनी होगी।

11. प्रश्नाधीन स्थल पर भूकंप अवरोधी प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करना होगा।

12. भूमि स्वामित्व एंव सीमा विवाद तथा मार्ग विवाद या अन्य किसी भी प्रकार का विवाद होने पर यह अनापत्ति स्वयं में निरस्त मानी जावेगी।

13. प्रश्नाधीन स्थल पर सुरक्षा की दृष्टि से अग्निशमन की व्यवस्था रखना आवश्यक होगा।

14. म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 33 के प्रावधानों के अनुसार यह अनुज्ञा 3 वर्ष की कालावधि के लिए प्रवृत्त रहेगी।

15. इस अनुज्ञा एंव सहपत्र को भूमि स्वामित्व दस्तावेज न समझा जावे।

16. शासन द्वारा समय–समय पर लागू होने वाले नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

किसी भी प्रकार के भूमि स्वामित्व सीमा विवाद मार्ग विवाद होने पर यह अनुज्ञा म0प्र0 भूमि विकास नियम 1984 के प्रवधानार्तगत निरस्त मानी जावेगी।

संलग्नः मानचित्र 1 प्रति

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय– छिन्दवाड़ा

क्रमांक 965/66 नि0आ0/नग्रानि/2011 छिन्दवाड़ा दिनांक 2/5/11

प्रतिलिपिः

1. अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) जिला सिवनी की ओर पत्र क्रमांक 676/रीडर/11 सिवनी दिनांक 17.03..2011 के संदर्भ में मानचित्र की एक प्रति के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सरपंच ग्राम पंचायत पलारी जिला– सिवनी की ओर मानचित्र की एक प्रति के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

संयुक्त संचालक 30/4/2011
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय– छिन्दवाड़ा